कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ग) चीन द्वारा भारतीय विशेषज्ञता के साथ 3 ओपनकास्ट कोयला, खनन स्थलों का आयोजन तथा विकास किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है। हाल ही में, एक छः सदस्यीय भारतीय विशेषज्ञ दल ने चीन में स्थित विनिर्दिष्ट किए गए स्थलों का दौरा किया है और इस मामले में आगे कार्रवाई किए जाने हेतु चीन के सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। चीनी पक्ष की ओर से सकारात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है।

योजना बजट के अंतर्गत सुपर बाजार

*105. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला**: क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सुपर बाजार को केन्द्रीय भंडार और अन्य सहकारी उपभोक्ता भंडारों के समान योजना बजट के अधीन लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) केंद्रीय क्षेत्र के तहत उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए योजना स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार, सुपर बाजार को अंश पूंजी, ऋण तथा अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। सुपर बाजार पहले ही केंद्रीय सरकार के योजना बजट से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। सुपर बाजार को 1966-67 से 1994-95 तक प्राप्त हुई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सुपर बाजार
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०
नई दिल्ली
सुपर बाजार को 1994-95 तक दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रु० में)

	वर्ष	अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	कुल
दिल्ली प्रशासन द्वारा					
	1966-67	16.95	16.60	—	—
	1967-68	14.05	5.97	5.85	—
	1968-69	—	2.18	—	80.58
	1969-70	10.76	8.22	—	—
		41.76	32.97	5.85	80.58
मंत्रालय द्वारा					
	1970-71	25.00	40.00	—	65.00
	1971-72	—	3.81	1.19	5.00
	1972-73	—	0.65	0.18	0.83
	1973-74	—	3.50	1.00	4.50
	1974-75	—	8.00	—	8.00
	1975-76	6.98	11.97	0.96	19.91
	1776-77	3.00	15.42	1.59	20.01
	1977-78	—	0.75	0.25	1.00
	1978-79	6.25	7.75	2.00	16.00
	1979-80	1.50	0.90	0.60	3.00
	1980-81	2.25	1.35	0.90	4.50
	1981-82	4.50	3.38	1.73	9.61

वर्ष	अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	कुल
1982-83	4.50	2.25	1.35	8.10
1983-84	5.50	18.76	9.49	33.75
1984-85	7.00	11.00	5.00	23.00
1985-86	11.00	6.75	2.25	20.00
1986-87	7.00	18.00	5.00	30.00
1987-88	9.00	23.00	8.00	40.00
1988-89	10.80	20.53	7.49	38.82
1989-90	8.00	19.00	8.00	35.00
1990-91	8.00	24.00	8.00	40.00
1991-92	60.00	11.00	5.00	76.00
1992-93	12.80	16.00	8.00	36.80
1993-94	8.00	8.00	4.00	20.00
1994-95	8.00	8.00	4.00	20.00
योग	250.84	316.74	91.83	659.41

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*106. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

(घ) इन कार्यक्रमों की कब तक समीक्षा की जाएगी; और

(ङ) क्या राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के लिए इन कार्यक्रमों में कोई विशेष प्रयास किए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) गरीबी उन्मूलन के लिए तीन प्रमुख केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) इन कार्यक्रमों की केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के शासी निकाय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन भी किया जाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इन स्कीमों की वास्तविक प्रगति की मानीटरिंग करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "क्षेत्र अधिकारियों" की एक स्कीम आरम्भ की है, जिसके तहत अधिकारियों की एक टीम राज्यों का दौरा करती है और ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की इन तीनों तथा अन्य स्कीमों के संदर्भ में मौजूदा समस्याओं और प्रगति का प्रत्यक्ष ब्यौरा देती है, यह स्कीम 1993 से चल रही है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने प्रमुख कार्यक्रमों का आवधिक समवर्ती मूल्यांकन करता है।

विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सुचारू बनाने और इनके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए गए है।

मूल्यांकन अध्ययनों और क्षेत्र से प्राप्त निरन्तर फीडबैक के निष्कर्षों के आधार पर आई०आर०डी०पी० में कुछ संशोधनों किए गए हैं। गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने में इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं: (i) प्रति परिवार निवेश स्तर में वृद्धि, (ii) चालू वर्ष के दौरान देश में 213 जिलों तक परिवार जमा योजना का विस्तार और (iii) आई०आर०डी०पी० परियोजनाओं की उत्पादकता में सुधार के लिए आधार संरचना मानदण्डों में संशोधन। ये उपाय मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में क्रियान्वित किए जाने हैं।

जे०आर०वाई० के तहत निधियां देश में प्रत्येक